

## वित्तीय प्रबंध व सहायक नीति सरल भाषा में सार

### संक्षिप्त परिचय

सहानुभूतिपूर्वक उपचार करने, खोजपरक ढंग से पढ़ाने, व लगातार सुधार करने वाले अपने उद्देश्यों का पालन करते हुए, ग्रीनविले हेल्थ सिस्टम (GHS) उन रोगियों तक वित्तीय मदद पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है जो अपने संपूर्ण बिल या उसके एक हिस्से का भुगतान नहीं कर सकते।

नीचे दी गई जानकारी GHS के वित्तीय प्रबंध व सहायक नीति का सारांश प्रस्तुत करती है।

### वित्तीय सहायता की उपलब्धता

GHS उन वित्तीय कार्यभारों को समझता है जो बिना हेल्थ इंश्योरेंस या सिर्फ आंशिक कवरेज वाले इंश्योरेंस वाले (बिना बीमा वाले व अल्प बीमा वाले) रोगियों द्वारा स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने पर वहन किए जाते हैं।

ऐसे सभी रोगी जिन्हें लगता है कि वे वित्तीय सहायता की पात्रता प्राप्त कर सकते हैं, उनसे वित्तीय सहायता आवेदन पत्र भरने व जमा कराने की अपील की जाती है।

### आवश्यक योग्यताएं

वित्तीय सहायता, आपातकाल और GHS (व कुछ अन्य प्रदाताओं) द्वारा उपलब्ध करवाए गए अन्य आवश्यक चिकित्सीय इलाज के लिए उन बीमित व गैर-बीमित रोगियों के लिए उपलब्ध है, जो आय व संपत्ति सीमा आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। समीक्षा प्रक्रिया में हेल्थकेयर एक्सचेंज, मेडिकेड व अन्य फंडिंग संसाधनों के जरिए मूल्यांकित संभावित कवरेज शामिल है।

आमतौर पर, वित्तीय सहायता, फेडरल पोवर्टी गाइडलाइंस (FPG) व रोगी को उपलब्ध अन्य संपत्तियों पर आधारित कुल घरेलू आय के परिवर्तनशील पैमाने द्वारा तय होती है।

FPG के 200% से लेकर 400% तक, से ज्यादा की आय के लिए खास प्रतिशत छूट वार्षिक तौर पर अपडेट होती हैं और ये मेडिकेयर लुक-बैक प्रणाली पर आधारित होती हैं।

वित्तीय प्रबंध व सहायक नीति के तहत वित्तीय सहायता के लिए पात्र किसी भी व्यक्ति से आपातकाल व अन्य आवश्यक चिकित्सीय इलाज के लिए, ऐसे ही इलाज के लिए बीमित व्यक्ति की सामान्य भुगतान राशि (AGB) से ज्यादा भुगतान नहीं लिया जाएगा। अगर किसी व्यक्ति के पास इलाज का भुगतान करने के लिए पर्याप्त बीमा कवरेज या संपत्ति है, तो वह वित्तीय सहायता के लिए पात्र नहीं हो सकता है। स्पष्टीकरण के लिए कृपया GHS वित्तीय प्रबंध व सहायक नीति देखें।

### आवेदन प्रक्रिया के बारे में

हमारी वित्तीय प्रबंध व सहायक नीति के तहत वित्तीय सहायता के लिए आवेदन प्रक्रिया के ये चार चरण हैं :

- वित्तीय सहायता आवेदन पत्र भरें व आवश्यक सहायक दस्तावेज संलग्न करें। अगर आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं करवाए गए तो आपका आवेदन रद्द हो सकता है।
- आपकी आय, परिवार के आकार व अन्य संपत्तियों की समीक्षा होगी ताकि इस दस्तावेज के आवश्यक पात्रता

भाग में दर्ज FPG पर आधारित, आपको उपलब्ध सहायता का स्तर तय किया जा सके।

- आपको बीमा लाभों व अन्य फंडिंग संसाधनों के लिए पात्रता खोजनी होगी जो आपका इलाज वहन करे (जैसे कि हेल्थकेयर एक्सचेंज, मेडिकेड, वर्कर्स कंपेंसेशन व ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस के जरिए इंश्योरेंस कवरेज)। हमारे पास ऐसे प्रतिनिधि हैं जो सही संसाधन ढूंढने में आपकी मदद कर सकते हैं।
- अगर आप हमारी वित्तीय सहायता व प्रबंध नीति के तहत वित्तीय सहायता पाने के पात्र बनते हैं तो आपको सूचित किया जाएगा।

बिल की प्रक्रिया/भुगतान प्रबंधों के बारे में

GHS उन गैर-बीमित व अल्पबीमित दोनों ही रोगियों के लिए विकल्प पेश करता है जो वित्तीय सहायता के लिए पात्रता हासिल नहीं कर पाते। प्रतिनिधि आपकी इंश्योरेंस या वित्तीय सहायता के तहत कवर न होने वाले बिलों की किसी बकाया राशि के लिए भुगतान योजनाएं बनाने में आपकी मदद कर सकते हैं।

बिल के स्टेटमेंट्स व/या फोन कॉल्स के जरिए 120 दिनों की अवधि के दौरान आपको आपके बिल की याद दिलवाने के लिए आपसे चार बार संपर्क किया जाएगा। आपसे आपके बिल के पूरे भुगतान, भुगतान योजना बनाने या वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करने की उम्मीद की जाती है।

बिल की पहली तिथि के बाद 120 दिनों के भीतर बिल का भुगतान न करने या भुगतान योजना न बनाने पर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री की रिपोर्ट दी जा सकती है, कलेक्शन एजेंसी या अटॉर्नी को कहा जा सकता है, या संपत्ति या निजी संपत्ति के अधिग्रहण के लिए मुकदमा किया जा सकता है। संग्रह प्रक्रिया के दौरान आप वित्तीय सहायता के आवेदन के लिए ग्राहक सेवा को (864) 454-9604 या 1-844-302-8298 (टॉल फ्री) पर कॉल कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम सीमा सेवा की तिथि से 8 महीने बाद तक की है।

### अधिक जानकारी कहां से लें

आप हमारी वित्तीय प्रबंध व सहायक नीति, वित्तीय सहायता आवेदन पत्र, मेडिकेयर व प्राइवेट इंश्योरेंस बैड डेब्ट पॉलिसी की प्रति समेत, वित्तीय सहायता आवेदन प्रक्रिया के बारे में जानकारी इन चार तरीकों से पा सकते हैं :

- हमारी वेबसाइट <http://www.ghs.org/financial-assistance> पर जाएं।
- GHS रोगी वित्तीय सेवा को (864) 454-9604 या 1-844-302-8298 (टॉल फ्री) पर कॉल करें।
- Greenville Health System, 255 Enterprise Blvd., Ste. 250, Greenville, SC 29615 Attn: Financial Counseling को डाक द्वारा आग्रह भेजें।
- किसी भी GHS अस्पताल में Patient Access Representative से व्यक्तिगत तौर पर मिलें। (सुविधाओं व पतों की सूची पाने के लिए, संपूर्ण वित्तीय प्रबंध व सहायक नीति देखें)।

प्रिनविले हेल्थ सिस्टम सेवा पाने वाले उन सभी लोगों को, उनकी अपनी भाषा में, वित्तीय प्रबंध व सहायक नीति, वित्तीय सहायता आवेदन पत्र, व इस सार की अनुवादित प्रतियां उपलब्ध करवाता है जो अंग्रेजी में माहिर नहीं हैं।